उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं० 1094 -काविनी एवं वे0प्र0 - 29 / पाकालि / 2010 - 4 - काविनी / 94 दिनांक 01 सितम्बर, 2010

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-। एवं ।।),
समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

विषय :- कार्यालय ज्ञाप सं० 981-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/10-4-काविनी/94 दिनांक 14.08.2010 के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 981-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/10-4-काविनी/94 दिनांक 14.08.10 के अनुसार कार्मिकों को उच्चीकृत तृतीय समयबद्ध वेतनमान दिनांक 01.01.96 अथवा तदुपरान्त वास्तविक अनुमन्यता की तिथि से प्रदान करते हुए वेतन का निर्धारण उच्चीकृत तृतीय समयबद्ध वेतनमान में समान स्तर प्राप्त होने पर उसी स्तर पर अन्यथा अगले स्तर पर निर्धारित किये जाने के आदेश निर्गत हैं।

उक्त आदेश के समुचित कियान्वयन के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय उच्चीकृत समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी नवीन वेतन संरचना में सम्बन्धित कार्मिकों को *मात्र प्रकल्पित वेतन निर्धारण हेतु* विकल्प की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि *प्रश्नगत आदेश के अन्तर्गत एवं आदेश सं० 981-काविनी एवं वे०प्र०-29 दिनांक 14.08.10 हेतु प्रस्तुत विकल्प मात्र प्रकल्पित वेतन निर्धारण के लिये मान्य होगा तथा उक्त वेतन निर्धारण के फलस्वरूप दिनांक 19.07.2010 तक कोई अवशेष न तो आँकलित होगें न ही देय होगें, परन्तु ऐसे मामलों में जहाँ किसी अवधि में इस आदेश के अन्तर्गत प्रकल्पित वेतन निर्धारण में वेतन का स्तर पूर्व में अनुमन्य कराये गये नवीन वेतन संरचना के वेतन स्तर से कम हो जाता है तो देय अवशेष की गणना की जायेगी तथा मात्र ऐसे प्रकरण में ही तदनुसार छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत अनुमन्य अवशेषों से समायोजन किया जायेगा।* उक्तानुसार प्रकल्पित वेतन निर्धारण आदेश सं० 175-काविनी दिनांक 19.02.2009 की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

आदेश सं० 981-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/10-4 काविनी/94 दिनांक 14.08.10 सेवारत् कार्मिकों की भांति दिनांक 19.07.10 तक सेवानिवृत्त/ दिवंगत या अन्य किसी कारण से सेवा से पृथक हुए सेवकों के संबंध में भी लागू होंगें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेवानिवृत्ति, दिवंगत / किसी कारण से सेवा से पृथक हुए सेवकों को ग्रेच्युटी तथा राशिकरण प्रकल्पित वेतन पर अनुमन्य नहीं होगा। केवल पेंशन / पारिवारिक पेंशन दिनांक 20.07.2010 से प्रकल्पित वेतन के आधार पर अनुमन्य होगी।

ऐसे प्रकरण जहाँ कार्मिकों को तृतीय समयबद्ध वेतनमान दिनांक 19.02.2009 से पूर्व देय हैं, परन्तु प्रशासनिक या अन्य कारणों से स्वीकृत नहीं हो सके हैं, ऐसे प्रकरणों में कारपोरेशन के आदेश सं० 783 -

(क्रमशः...2)

काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/09–17 काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 29.06.09 की व्यवस्था यथावत् प्रभावी रहेगी।

उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिकों को इस आदेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के अन्दर संलग्न प्रारूप के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / नियुक्ति प्राधिकारी / वेतन प्राधिकार–पत्र जारी करने वाले अधिकारी को विकल्प–पत्र यथा संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। उक्तानुसार निर्धारित अवधि में यदि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा कोई विकल्प प्रकल्पित वेतन निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रकरण में दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी वेतन संरचना में पूर्व में किये गये वेतन पुनरीक्षण की तिथि से ही प्रकल्पित वेतन अनुमन्य कराया जायेगा।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(आर० एस० पाण्डेय)
अपर सचिव (का०प्र०– I)

सं० 1094 – काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/10 तद्दिनांकित 01 सितम्बर, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5- समस्त निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
9- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बी–17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
11- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12- अनु सचिव (सचिवालय प्रशासन/सचिवालय प्रशासन–लेखा),उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी,उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र०पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
15- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
16- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
17- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(आर० एस० पाण्डेय)
अपर सचिव (का०प्र०– I)

कार्यालय ज्ञाप सं0 981–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/10 दिनांक 14 अगस्त, 2010 एवं स्पष्टीकरण आदेश सं0 1094–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/10–4 काविनी/94 दिनांक 01 सितम्बर, 2010 के प्राविधानानुसार

मात्र प्रकल्पित वेतन निर्धारण हेतु विकल्प–पत्र

* (1) मैं .... दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता हूँ।

* (2) मैं .... अपने मूल/स्थानापन्न पद के निम्नांकित वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करता हूँ, जब तक कि :–

* मेरी अगली वेतन वृद्धि की तिथि ....।

मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तिथि जिससे मेरा वेतन बढ़कर .... न हो जाए।

मैं वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करना बन्द कर दूँ / छोड़ दूँ।

वर्तमान वेतनमान ....

हस्ताक्षर..................................

नाम ....

पदनाम ....

कार्यालय का नाम.........................

दिनांक – ....

स्थान – ....

* यदि लागू न हो तो काट दिया जाए।